

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर,
उन सभी से लिनका हस्से संबंध है, अनुरोध एवं अपेक्षा की
जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-ठोक के स्वतंत्र रूप
से आने-जाने दें और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा
प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME
OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE
TO WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS
FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM
OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE
OR SHE MAY STAND IN NEED.


भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से
BY ORDER OF
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

D. S. Balaiyah
दासरठी बालाईया, डा. रा.से.
DASARI BALAIYAH, IRS
दोनों पारम्पराग अधिकारी
Regional Passport Officer
शोन्हीय पारम्पराग कार्यालय
Regional Passport Office
हैदराबाद/HYDERABAD



भारत गणराज्य

REPUBLIC OF INDIA



सत्यमेव जयते

पासपोर्ट
PASSPORT

इस पासपोर्ट में 36 पृष्ठ है। This Passport contains 36 pages.

पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे नियकतम भारतीय मिशन/पोस्ट में अपना पंजीकरण करवाएं।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट प्राधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सुविधा निलंबित हो जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट भारत द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट भारत का उसके द्वारा प्राधिकृत व्यवित के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

यह पासपोर्ट जुम हो जाने, चारी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सुधना भारत में निकलतम पासपोर्ट प्राधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो विस्तृत मालतीय मिशन/पोस्ट और स्थानीय पुलिस को तत्काल दी जानी चाहिए। विस्तृत मूलांक के बाद ही डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी किया जाया।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

महत्वपूर्ण सूचना / IMPORTANT INFORMATION
THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

फैशन / OBSERVATION